



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

“खाद्य भवन”, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना -800001

पत्रांक:-EW:11:01:30:01:2021- 6334

दिनांक 1-9-21

अल्पकालीन आवेदन (Expression of Interest) आमंत्रण सूचना सं0- 04/2021-22

बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण, सुपौल, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, मधेपुरा, कैमूर, कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, गया, जमुई, अरवल, जहानाबाद, नालन्दा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बौका, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, पूर्णियाँ, खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, जिलों, जहाँ निगम से एक भी संवेदक Empanelled नहीं है अथवा तीन से कम हैं, में बिहार राज्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, पटना के निर्मित गोदामों एवं इनके पहुँच पथों/पुल-पुलिया के आपातकालीन निर्माण/मरम्मति आदि कार्यों के सीमित निविदा (वित्तीय बोली/Financial Bid) बोली के आधार पर कराने हेतु संबंधित जिलों के पथ निर्माण विभाग में निर्बंधित Class IV के संवेदकों का तकनीकी योग्यता के आधार पर Empanelment तैयार करने हेतु आवेदन (Expression of Interest) बन्द लिफाफा में आमंत्रित किया जाता है। संबंधित जिलों में किसी भी कार्य को चयनित संवेदकों के द्वारा न्युनतम उद्धृत दर के आधार पर कराया जायगा। जिस जिले के लिए Class IV के तीन से कम संवेदक चयनित होते हैं उस जिला के कार्य में नजदीक के जिलों के लिए Class IV के चयनित संवेदक को भी भाग लेने का अवसर दिया जायगा। यह Empanelment वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के लिए मान्य होगा।

वैसे संवेदक जो पूर्व में निगम से Empanelled हो चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व Empanelled संवेदकों की सूची निगम के Website: <http://sfc.bihar.gov.in> पर देखी जा सकती है।

1 आवेदन प्राप्ति (Expression of Interest)

की तिथि एवं समय

2 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि

दिनांक 15.09.2021 से 17.09.2021 तक कार्य दिवस में।

दिनांक 17.09.2021 को अपराह्न 03:00 बजे तक।

3 आवेदन खोलने की तिथि एवं समय

दिनांक 17.09.2021 को अपराह्न 03:30 बजे से।

4 आवेदन प्राप्ति का स्थान

उप महाप्रबंधक, तकनीकी, निगम मुख्यालय, प्रथम तल, खाद्य भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना।

5. विस्तृत आवेदन आमंत्रण सूचना (Expression of Interest) Website: <http://sfc.bihar.gov.in/> <http://prdbihar.gov.in> पर देखा जा सकता है। अन्य जानकारी अधोहस्ताक्षरी से कार्यालय में कार्य दिवस एवं कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

6. संवेदक को आवेदन (बन्द लिफाफा में) के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

- (i) आवेदक के जिला में स्थित पथ निर्माण विभाग में वर्ग iv में निर्बंधन का स्वअभिप्रमाणित निर्बंधन पत्र।
- (ii) G.S.T में निर्बंधन से संबंधित पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (iii) सक्षम प्राधिकार द्वारा संवेदक के नाम का निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (iv) संवेदक का पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (v) संवेदक का आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0,
“खाद्य भवन”,दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना –800001

- (vi) संवेदक का E.mail ID एवं Mobile No देना अनिवार्य होगा ताकि अवश्यकता पड़ने पर इनके माध्यम से उन्हें सूचित किया जा सके।
- (vii) संवेदक को अग्रधन के रूप में राशि ₹0–5,000.00 (पाँच हजार) का बैंक झाफ (राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत) जो कार्यपालक अभियंता, उत्तरी बिहार कार्य प्रमंडल,निगम मुख्यालय,पटना के पदनाम से भुगतेय हो (जो लौटाया नहीं जाएगा) देना होगा।
- (viii) संवेदको को पिछले तीन वित्तीय वर्षो 2020–21,2019–20 तथा 2018–19 में कुल ₹0–7.50 लाख तक कार्य करने का भवन/पथ निर्माण कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत मूल में)समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- (ix) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्न आशय का शपथ पत्र (Affdavit) मूल में संलग्न करना होगा।

- a) " I, the undersigned, do hereby certify that I have not been debarred/blacklisted by any Department/ agency at present. If undersigned found debarred/blacklisted by any Department/ agency then The Corporation may reject my proposal and take lawful action against me"
- b) " I, the Undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable to be inflicted upon the IFR and lawful punishment as well as black listing"

7. किसी भी जिला के लिए 10 (दस) से अधिक Class IV संवेदकों के सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर इनके बीच लॉट्री झाके माध्यम से दस संवेदकों का चयन किया जायेगा।
8. सूचीबद्ध संवंदकों का कार्य आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा।
9. आवेदन (EOI) को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. आवेदन (EOI) प्राप्ति की तिथि को यदि अवकाश घोषित होता है तो अगले कार्य दिवस को आवेदन निर्धारित समय पर प्राप्त एवं खोला जायगा।

1
०१.९.२०२१
(अजय कुमार)

उप महाप्रबंधक,तकनीकी,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक
आपूर्ति निगम लि0,मुख्यालय,पटना।

(मो-9431672865)
०१.९.२१
०१.०१.२१